

## विचार बिन्दु

युद्ध के लिए तैयार रहना शांति स्थापित रखने के लिए एक बहुत प्रभावशाली साधन है। -वाशिंगटन

## जानें : चुनाव, मतदाता पंजीकरण और वोट देने की शक्ति क्या है?

हमारे देश भारत में निर्वाचकों की मुख्य तीन श्रेणियां हैं। प्रथम सामान्य निर्वाचन, द्वितीय प्रवासी (एनआरआई) व तृतीय प्रवासी निर्वाचन।

प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है (निर्वाचक नामावली के तैयार करने के वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिन को 18 वर्ष प्राप्त कर लिये हों) और वह किसी कानून के तहत निर्वाहित न किया गया हो, वह मतदान का अधिकारी है तथा वह जिस स्थान की नामावली है उसमें मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने का अधिकारी है। यहाँ यह लिखना समीचीन होगा कि केवल भारत का नागरिक भारत में मतदान करने का अधिकारी है। मतदान करने के लिये उसका नाम नामावली में होना आवश्यक है। चुनाव में खडा होने के हेतु नामावली की रजिस्टर्ड प्रतिलिपि, नोमीनेशन फार्म के साथ लगाना आवश्यक है। भारत का नागरिक यदि अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचक नामावली में पंजीकरण कराने का पात्र नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के पास विदेशी पासपोर्ट है किसी ने आपति की है कि वह दूसरे देश का नागरिक है, इस आधार पर उनके विरुद्ध एक रिट याचिका कोर्ट में लंबित है, देखना है न्यायालय इस आपति का समाधान क्या निकालता है? लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम 2010 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार भारत का वह नागरिक जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है और जो मतदाता के रूप में पंजीकरण हेतु अन्यथा पात्र है तथा जो अपने रोजगार, शिक्षा आदि के कारण भारत में अपने सामान्य निवास स्थान पर नहीं रह रहा है, वह निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्टर होने का पात्र है जहां उसके पासपोर्ट में भारत में उसके निवास स्थान का उल्लेख किया गया है।

भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष की है वह उस निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें उसका सामान्य निवास शामिल है, वहां विनिर्दिष्ट प्रपत्र 6 में आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रार/अधिकारी के समक्ष इस प्रयोजन हेतु प्रेषित कर सकता है। ऐसे प्रपत्र को भरकर डाक से भी भेजा जा सकता है। ऑनलाइन भी यह सुविधा प्राप्त है। प्रारूप 6 ऑनलाइन भरते समय आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी अपलोड की जानी चाहिये। वस्तुतः सभी स्थितियों में प्रारूप 6 के साथ पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, आयु व निवास का दस्तावेज लगाना आवश्यक आवास के लिये राशनकार्ड काम में लिया जा सकता है। प्रपत्र 6क प्रवासी भारतीय निर्वाचकों के लिये है। फार्म 8 का उपयोग मतदाता जो अपना निवास स्थान बदलते हैं उनके लिये है। फार्म नं. 6बी का संबंध आधार कार्ड से है, जो प्रमाणिकता के लिये काम में लिया जाता है।

चुनाव के कुछ महिनों पहले हर निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं की एक लिस्ट बनाई जाती है जिसे मतदाता सूची या वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन होता रहता है ताकि नये मतदाताओं को जोड़ा जा सके है और मृत हुये लोगों के नाम हटाये जाते है। बंगला देश से बहुत लोग भारत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके आते है और राजनीतिक पार्टियों इन्हें मतदाता सूची में शामिल कराते है। बंगाल में यह काम हो रहा है। दिल्ली आदि बड़े शहरों में भी मतदाता सूची में नाम जोड़े गये है। ऐसा आरोप है मुस्लिम धर्म के लोगों को वोट बैंक मानकर मतदाता सूची में शामिल किया जाता है। फार्म नं. 7 जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने के हेतु प्रयोग में लिया जाता है।

चुनाव का विषय संविधान के अनुच्छेद 324 से संबंध रखता है और चुनाव आयोग को संविधान में असीम अधिकार दिये हुये है। इस प्रकार चुनाव आयोग को विधायिका, न्यायपालिका व एजिक्यूटिव के अधिकार प्राप्त हैं। चुनाव का विषय में भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। यह प्राधिकरण भारत में निर्वाचन प्रक्रियाओं के लिये उत्तरदायी है। मतदाता हेल्थलाइन एप निर्वाचन नामावली में अपना नाम खोजने, ऑनलाइन प्रश्न भरने, निर्वाचकों के बारे में जानने और सबसे महत्वपूर्ण शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है। प्रत्येक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन है। चुनाव का पूरा विषय जानने व समझने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। साथ ही इनके तहत बनाये गये नियम हैं। मतदाता सूचियों के लिये रजिस्ट्रेशन आफ इलेक्शन रूल्स 1960 है। इनमें समय समय पर संशोधन होते रहे है। संशोधन के कारण ही प्रत्येक मतदाता को पहिचान पत्र (Identity Card) दिया जाता है, जिससे मतदान में सुविधा होती है मतदान करने में समय नहीं लगता।

मतदान होने पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिये। चुनाव के बाद के विवाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1971 के अनुसार निर्णित किये जाते है और मतदाता सूची के विवाद चुनाव अधिकारी निपटाते है। चुनाव के विषय में सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र निषेध किया गया है। चुनाव परिणाम के बाद चुनाव याचिका पेश की जाती है चुनाव ट्रायब्यूनल के रूप में हाईकोर्ट का काम करता है।

मतदाता सूची, मतदान पहचान पत्र अथवा निर्वाचन सम्बन्धित कोई भी शिकायत को दर्ज करवाने के लिये मतदाता वेबसाइट पर लॉग-इन कर अपनी शिकायत/परेशानी संबंधित अधिकारी को दर्ज रजिस्टर करा सकते है। कई अधिकारी समक्ष है निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी इस काम के लिये सक्षम है।

यदि मतदाता सूची में आपका कोई भी विवरण गलत है, यानी गलत दर्ज है। ये गलतियां नाम के वर्तनी में अशुद्धि, उम्र के संबंध की अशुद्धि लिंग की अशुद्धि, निवास के पते की गलती आदि हो। जैसा ऊपर कहा है कि 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति मतदान करने का अधिकारी है, किन्तु उसका नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्रिय है अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा विक्रिय घोषित किया गया है अथवा चुनाव अपराधों में करप्ट प्रेक्टिस के कारण अयोग्य घोषित किया है तो वह मतदान करने व मतदाता सूची में नामांकन नहीं करा सकते।

दिल्ली का चुनाव 5 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाये है। मतदाता सूचियों में 29.11.2024 से 6.1.2025 तक 82450 नाम काट गये है और 4 लाख 80 हजार नये नाम जोड़ने के आवेदन प्राप्त हुये है तथा 2 लाख 8 हजार 302 नये नाम जोड़े। 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची फाइनल हुई है। एक पन्हेलहम्ब (सीमापुरी) में 25 गज के मकान में 2 लोग रहते है जहां मतदाता सूची में 38 नाम है। ऐसी घटना कई जगह है दिल्ली में कुल मतदाता 1 करोड 55 लाख 24 हजार 850 है। यह घटना दिल्ली की है किन्तु राजस्थान अथवा राज्य में भी हो सकती है। इस लेख का उद्देश्य सभी लोगों को मतदाता सूची के बाबत जानकारी देना व उसके महत्व को समझाना है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां की केन्द्रीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव प्रक्रिया से चुनी जाती है। प्रत्येक मतदाता को चुनाव में अपने मत का प्रयोग अवश्य करना चाहिये। चुनाव ही हमें अक्सर देता है कि भ्रष्ट व असफल सरकारों को सत्ता से बाहर करें। जब सही गुणवान अच्छे, निष्पक्ष चुनावों में जीतकर आवेगें तभी देश का सही विकास होगा। कभी भी जाति, धर्म, अथवा फ्रीबीज (मुफ्त की रेवडी) अथवा लोक लुभावन वादों के आधार पर मतदान न करें। ये सब लोकतंत्र के हेतु अभिषाप है।

एक देश, एक चुनाव समय की पुकार है। मतदान अवश्य करे, देश के विकास में सहयोग दें।

-अतिथि सम्पादक,  
पानाचन्द्र जैन  
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



प्रो. अशोक कुमार

मानव स्वास्थ्य एक जटिल विषय है जो पोषण, जीवनशैली और पर्यावरण जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक ने इन क्षेत्रों में कई नवाचार किए हैं, जिससे हम स्वस्थ और अधिक लंबा जीवन जी सकते हैं।

**पोषण में नवाचार**  
व्यक्तिगतकृत पोषण: अब हम अपने जिन, माइक्रोबायोट्स और जीवनशैली के आधार पर व्यक्तिगत पोषण योजनाएं बना सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हम सही पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं। व्यक्तिगतकृत पोषण एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें आपके आहार को आपके शरीर की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाता है। यह एक सामान्य आहार योजना से कहीं अधिक है, क्योंकि यह आपके जिन, जीवन शैली, स्वास्थ्य लक्ष्यों और अन्य कारकों को ध्यान में रखता है।

**क्यों है व्यक्तिगतकृत पोषण महत्वपूर्ण?**

यह आपके शरीर को वह पोषण देता है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता होती है, जिससे आप अपने स्वास्थ्य लक्ष्यों को अधिक तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके स्वाद और पसंद को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिससे आप इसे लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। यह आपके लिए एक अद्वितीय योजना है, जो आपके शरीर की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करती है।

**व्यक्तिगतकृत पोषण कैसे काम करता है?**

व्यक्तिगतकृत पोषण योजना बनाने के लिए, आपके स्वास्थ्य इतिहास, वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति, आनुवंशिक जानकारी, और जीवन

# 8 1 3 वां उर्स: बड़े कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन आज होगा

अजमेर, (कास)। अजमेर में चल रहे हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें उर्स का समापन शुक्रवार को बड़े कुल की रस्म और जुमे की नमाज के साथ होगा। कुल की रस्म दरगाह से जुड़े खादिमों द्वारा अदा की जाएगी। केवड़े, इत्र और गुलाब जल से दरगाह परिसर को घुलाई की जाएगी। ख्वाजा साहब के उर्स की आखिरी रस्म बड़ा कुल पर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आस्ताना शरीफ में खिदमतगार खादिमों द्वारा गुस्ल दिया जाएगा और ख्वाजा साहब की मजार पर नया गिलाफ पेश किया जाएगा। आस्ताना शरीफ के बाहर अकीदतमदों द्वारा दरगाह की दरों दीवार की घुलाई करेंगे। इस दौरान पानी को शीशियों में भरकर बतौर तबर्क ले जाएंगे। बड़े कुल की रस्म में शिरकत के लिए अकीदतमद का अजमेर

■ बड़े कुल की रस्म में शिरकत के लिए अकीदतमदों का अजमेर पहुंचने का सिलसिला जारी

पहुंचने सिलसिला जारी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। इधर दरगाह परिसर में रात से ही अनेक अकीदतमद ने बड़े कुल के छोटे देते शुरू कर दिए। आस्ताना शरीफ मामूल होने के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ, अकीदतमद आस्ताना शरीफ की दीवार को केवड़े व गुलाब जल से धोते नजर आए। दरगाह कमेटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्स के दौरान पड़ने वाले दूसरे जुमे की नमाज होगी और इसी दिन बड़े कुल की रस्म भी अदा की जाएगी। एक ही दिन और

लगाभग एक ही समय के चलते दरगाह कमेटी द्वारा नई व्यवस्था के तहत कुल की रस्म एक घंटे पहले की जाएगी, इसके बाद जुमे की नमाज अदा की जा सकेगी। उर्स में आम तौर पर छोटे कुल की रस्म में भाग लेने के बाद जायरीन का लौटना शुरू हो जाता है। इस बार बड़े कुल वाले दिन ही शुक्रवार है, इसलिए अधिकांश जायरीन दोपहर को नमाज पढ़ने के बाद ही जाएंगे। हालांकि उर्स के दिनों में दरगाह में जायरीन की जियारत का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन इस बार बड़े कुल और जुम्मा एक ही दिन होने से बड़ी संख्या में जायरीन अजमेर में मौजूद रहेंगे।

**देवली सीएम आतिशी व पूर्व सीएम केजरीवाल की चादर पेश :**  
ख्वाजा साहब के 813 वें सालाना उर्स के मैके पर वीआईपी चादरों का

सिलसिला गुस्वार को भी जारी रहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रतिनिधियों ने चादर पेश की। चादर पेश कर देश में अमन, चैन, शांति और भाईचारा की दुआ की गई। इसके बाद दरगाह के बुलंद दरवाजे पर भेजा गया संदेश भी पढ़ा गया।

गुस्वार को दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी के अध्यक्ष एफआई इस्माहली पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा गया। दिल्ली उर्स कमेटी के अध्यक्ष एफआई इस्माहली ने कहा कि दिल्ली में अगले महीने चुनाव होंगे। दिल्ली में थोड़ा माहौल अलग बना हुआ है। एक काम करने वाली पार्टी है, हम यही दुआ

करेंगे कि जिन्होंने दिल्ली में काम किया उन्हें का लोग सपोर्ट करेंगे। वहीं नागपुर में दरगाह ताजुद्दीन बाबा से आए हल ने 813 वें उर्स के मौके पर जियारत की ओर मखमली गिलाफ पेश किया। दल को अंजुमान यादगार के संयुक्त सचिव शेखजादा इमरान मोहम्मद चिश्ती ने जियारत कराई और दस्तारबंदी की खादिम शेखजादा इरफान चिश्ती ने सभी को तबर्क भेंट किया। दल हल उर्स के मौके पर अजमेर आकर हाजरी देता है। इस मौके पर काश्फ ताजी खादिम ताज बाबा, नोमान अशरफ, राजा मतीन, रफीक, कोनेन अशरफ, अवेज, उस्मान खान, सरफराज, मुजम्मिल खान, फैजान, अयाज खान, शाकिर अली, नूर खान, मुंबशिशर, अकील, सूफ़ी रजा, रिजवान, शरिक कुरैशी, तारिक, फरमान ताजी, अहमद अली मौजूद रहे।

## देवली शहर में चाइनीज़ मांझा की बिक्री धड़ल्ले से

देवली, (निर्सं)। इन दिनों मकर संक्रांति त्योहार के चलते यहां पतंगबाजी का दौरा शोर-शोर से शुरू हो गया है। पतंगबाजी में प्रतिबंध चाइनीज़ मांझा की डोर का इस्तेमाल हो रहा है। यहां खुलेआम बिक रहा प्रतिबंध चाइनीज़ मांझा बेजुबान पक्षियों और राहगीरों के लिए घातक बना हुआ है। ऐसे हालातों को देखकर भी जिम्मेदारना प्रशासन जानबूझकर अनजान बना हुआ है। यहां लोगों का मानना है कि पुलिस और पालिका

प्रशासन की मिलीभगत से प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा की बिक्री जोरों पर हो रही है, जबकि कानूनन तौर पर चाइनीज़ मांझा की बिक्री की रोकथाम हेतु सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हुए है, बावजूद इसके शहरभर में मांझा की बिक्री जोरों पर चल रही है। इसलिए कि मकर संक्रांति का पर्व नजदीक होने के कारण युवा एवं बच्चे पतंगबाजी के शौक में पूरा करने के लिए प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा की खरीदारी जोर शोर से कर रहे हैं।

■ पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझा से पक्षी, बाइक सवार और पैदल चलने वाले राहगीर घायल हो रहे हैं

■ सूचना के बावजूद पुलिस और पालिका प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की

देवली शहरवासियों का यह भी मानना है कि शहर में चाइनीज़ मांझा की बिक्री की जानकारी पुलिस और पालिका प्रशासन को बखूबी प्राप्त है। वहीं जानकारी यह भी प्राप्त है कि इसकी चपेट में रोजाना कई पक्षी आकर अकाल मौत का प्रास बन रहे हैं या

जख्मी हो रहे हैं। ऐसे में पुलिस और पालिका प्रशासन दोनों ही चाइनीज़ मांझा की हो रही बिक्री को नहीं रोक पा रहे हैं। उक्त मामले में सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक चाइनीज़ मांझा की बिक्री पर रोक के लिए कोई ठोस पहल नहीं की है। गौर

करने वाली बात यह भी है कि शहर भर के साथ साथ पुलिस थाने के ठीक सामने गांधी पार्क वाली गली में चाइनीज़ मांझा का बड़ा कारोबार खुलेआम हो रहा है।

थाना ऐसे हालातों पर पुलिस प्रभारी और पालिका अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो पालिका अधिशासी अधिकारी ने यह बताया कि चाइनीज़ मांझा की बिक्री पर कार्रवाई की गई है, लेकिन किस स्तर पर कार्रवाई की गई है यह नहीं बताया गया।

**वृष**  
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**मिथुन**  
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

**कर्क**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

**सिंह**  
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कन्या**  
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

**तुला**  
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

**धनु**  
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटक हुए कार्य बने लगेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**मकर**  
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

**कुंभ**  
घर-परिवार में धार्मिक-समाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**मीन**  
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवारों के संदेश प्राप्त होंगे। व्यावसायिक चाली सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

